राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2314/2025

गोपाल खीचड़

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय उप केन्द्र, किशनपुरा, जिला सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप केन्द्र, भिवालिया, मारवाड जंक्शन, पाली में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 350 किमी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की माता वृद्ध है, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी को हैरान और परेशान करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। हम पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2020 से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। ऐसे में हमारे समक्ष यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक तरीके से किया गया हो। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है और उसका स्थानान्तरण किये जाने से उसे आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा, इस समस्या के सम्बन्ध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष